भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-170

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

स्कूलों में नामांकन दर में गिरावट

†170. **डॉ. रानी श्रीकुमारः**

प्रो. सौगत रायः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में छात्रों की नामांकन दर में गिरावट की जानकारी है;

(ख) गत 10 वर्षों के दौरान देश भर के विद्यालयों में नामांकित बच्चों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत 10 वर्षों के दौरान देश में बालिकाओं और बालकों के नामांकन का वर्ष-वार और राज्य-वार अनुपात कितना है;

(घ) गत दस वर्षों के दौरान देश में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बालिकाओं और बालकों का वर्ष-वार और राज्य-वार अनुपात कितना है;

(ड़) विद्यालय में बच्चों के नामांकन में भारी गिरावट के क्या कारण हैं;

(च) क्या कुछ राज्यों में बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर बदतर हो रही है; और

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों पर डाटा रिकॉर्ड करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) विकसित की है। यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार सकल नामांकन अनुपात https://www.education.gov.in/parl_ques पर **अनुलग्नक-I** में उपलब्ध है।

(ख): यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक देश भर के स्कूलों में नामांकित बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या https://www.education.gov.in/ parl_ques पर **अनुलग्नक-II** में उपलब्ध है।

(ग) : लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) लड़कियों और लड़कों के जीईआर का अनुपात है। यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जीपीआई https://www.education.gov.in/parl_ques पर **अनुलग्नक-III** में उपलब्ध है।

(घ) : यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक देश में स्कूल छोड़ने वाले लड़कों और लड़कियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुपात https://www.education.gov.in/parl_ques पर **अनुलग्नक-IV** में उपलब्ध है।

(ड.) से (छ): यूडाइज़+ डेटा कैप्चर फॉर्मेट (डीसीएफ) को वर्ष 2022-23 से एनईपी 2020 के अनुरूप बनाया गया है, ताकि व्यक्तिगत छात्र-वार डाटा एकत्र किया जा सके तथा ड्रॉपआउट और अधिगम परिणाम को बनाए रखने के लिए छात्र रजिस्ट्री बनाई जा सके।

इसके अलावा, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालय/छात्रावास की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें और नि:शुल्क वर्दी, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सहायता और उपकरणों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

******